and supply, cost of inputs, local taxes, marketing costs, etc. which are variable. It is, therefore, not feasible, nor does Central Excise law have a provision, to ensure that duty concessions are reflected in the market prices.

However, the concerned administrative Ministries in the Government hold periodical discussions with the trade and industry and also monitor prices. It is seen that the duty concessions granted recently have often resulted in bringing down the manufacturers' prices.

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति

5969. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितने लोगों का बीमा किया गया तथा उनसे कितनी धनराशि प्रीमिब यम के रूप में प्राप्ति की गई ;

(ख) बीमा कराने बाले व्यक्तियों को बीमा पालिसी जारी करने के लिए निगम द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) बीभा पालिसियों में से कितनी पालिसियां प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त हो गई ; और

(घ) इस तरह समाप्त हुई बीमा पालिसियों के कारण निगम को कितनी राशि का नुकसान वहन करना पड़ा और उसका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1992–93 और 1993–94 के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के बारे में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और इस सूचना को एकत्रित करने में आ वाली लागत और प्रयास इसकी उपयोगिता के अनुरूप नहीं होंग । फिर भी, जारी की गई पालिसियों की संख्या और जीवन बीमा निगम द्वारा अंकित प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय नीचे दी गई है :–

वर्ष	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या	प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय (करोड़ रुपये में)
1992–93	99,57,348	1609.16
1993–94	1,07,25,633	1890.63

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उपरोक्त नई पालिसियों के संबंध में किया गया व्यय 1992–93 में 1046.49 करोड़ और 1993–94 में 1210 करोड़ रु० था ।

(ग) वष 1992–93 और 1993–94 के दौरान जारी की गई नयी पालिसियों में से व्यपगत पालिसियों की संख्या 31.3.94 तक, 1992–93 में 20,03,976 और 1993–94 में 1,39,780 थी ।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जीवन बीमा में लाभ और हानि की सामान्य कारोबार संबंधी संकल्पना का कोई स्थान नहीं है । तथापि, पालिसी धारकों को भुगतान के लिए उपलब्ध कुल अधिशेष पर (जो प्रत्येक वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन से प्राप्त होता है) व्यपगमन के कारण दबाव पड़ता हैं परन्तु उसकी मात्रा निश्चित करना कठिन है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

5970. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास

बैंक लघु सड़क परिवहन परिचालकों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर गुजरात में कितने परिचालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु सड़क परिवहन परिचालकों (एस०आर०टी०ओ०) को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं। ऋणकर्ता को वाहन की लागत का कम से कम 15 प्रतिशत वहन करना अपेक्षित है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी लागत का 85 प्रतिशत तक प्रदान करते हैं । यह ऋण छः महीने के अधिस्थगन सहित 5 वर्षों में वापस किया जाना है । बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरें वे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं । आवेदन पत्रों की उचित छानबीन करने के पश्चात् बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किए जाते हैं । बैंकों को प्रस्तावों की अर्थक्षमता, प्रयोजन की सत्यता, ऋणकर्ताओं की ऋण की पात्रता जसी सामान्य आवश्यकताओं के बारे में स्वय को संतुष्ट करना होता है । ऋण संवितरित किए जाने से पहले ऋणकर्ताओं को आवश्यक ऋण दस्तावेज निष्पादित करने होते हैं । बैंकों को ऋण के अंतिम उपयोग का भी पर्यवेक्षण करना होता है । इस योजना के तहत प्रदान किए गए ऋणों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि एस.आर.टी. ओ योजना के तहत सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बकों सहित विभिन्न एजेंसियों को संवितरित की गई नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	अखिल भारत	गुजरात राज्य
1992–93	5428	उपलब्ध नहीं
1993–94	11864	1957
1994–95 (दिसम्बर 1994 तक)	2374	827

Comments of world bank and IMF on Indian Budget 1994-95

5971. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of reports received recently by the Union Government from the World Bank and International Monetary Fund, Commenting on Indian Budget for 1994-95;

(b) whether appraisals have indicated towards deficit adversely; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) The World Bank in its country Economic Memorandum 1994 has commented on Indian Budget 1994-95. The World Bank has noted that while continuing the process of structural reform in several key areas, its major objective is to reactivate investment and that unless fiscal performance is improved, it could undermine the credibilty of the reform programme.

The International Monetary Fund in its Annual Report 1994 have commended India's programme of fiscal